


संघमित्र-जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935

No. 2077]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

का.आ. 2688(अ).—केन्द्रीय सरकार, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 (1994 का 6) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती प्रियदर्शिनी गोविंद को कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के निदेशक के रूप में 5 अगस्त, 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त करती है।

[सं. एफ-11-31/2012-अकादमी]

अरविंद मंजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

S.O. 2688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (6 of 1994), the Central Government hereby appoints Smt. Priyadarsini Govind as the Director of Kalakshetra Foundation, Chennai, on contract basis for a period of three years with effect from the 5th day of August, 2013.

[No. F. 11-31/2012-Akad]

ARVIND MANJIT SINGH, Jt. Secy.